(5)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–115/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00080)

01. गुमान पुत्र श्री देवा, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील जयपुर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. श्रीमती रजनी खण्डेलवाल पत्नी श्री अशोक खण्डेलवाल, जाति महाजन निवासी प्लॉट संख्या 90, रामनाथपुरी, कालवाड रोड़, झोटवाडा, जयपुर।
02. पप्पू पुत्र स्व. श्री महादेव,
03. देवीलाल पुत्र स्व. श्री महादेव, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
04. शांति पुत्री स्व. श्री महादेव पत्नी श्री रूपाराम, जाति नायक निवासी ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
05. सोहनी पुत्री स्व. श्री महादेव पत्नी श्री बिशनाराम, जाति नायक निवासी ग्राम कुण्डा आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
06. नारायण पुत्र श्री देवा, जाति नायक, निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर।
07. राजू पुत्री श्री देवा पत्नी श्री सेडूराम, जाति नायक, निवासी ग्राम जाखली, तहसील मकराना, जिला नागौर।
08. कैलाश पुत्री देवा पत्नी श्री रामफुल, जाति नायक निवासी ग्राम जाखली, तहसील मकराना जिला नागौर।
09. राजू पुत्र श्री सिन्धी, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
10. नेराज पुत्र श्री सिन्धी पत्नी प्रकाश, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
11. अजय पुत्र श्री खेताराम, जाति नायक निवासी बद्रीनाथ कॉलोनी वार्ड नम्बर 01, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. हरि पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
13. छोटू पुत्र श्री रामदयाल जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
14. राजेश पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
15, श्योजी पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
16. मुकेश पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
17. झाबर पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
18. काना पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

19. सुभाष पुत्र श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
20. ममता पुत्री श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
21. रामेश्वरी पत्नी श्री रामदयाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
22. मोती पुत्री श्री गोपाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
23. सुरेश पुत्र श्री गोपाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
24. राकेश पुत्र श्री गोपाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
25. महेश पुत्र श्री गोपाल, जाति नायक निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
26. सेयर पुत्री गोपाल पत्नी महेन्द्र, जाति नायक निवासी ग्राम मण्ड, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर (बहैसियत मुख्त्यार आम श्री गुमान पुत्र देवाराम, जाति नायक निवासी मावचा, तहसील व जिला जयपुर।)
27 सरपंच ग्राम पंचायत माचवा, पंचायत समिति झोटवाड, तहसील व जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 17.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जिला जयपुर के आदेश दिनांक 14.05.2019 (प्रकरण संख्या 3/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत माचवा तहसील व जिला जयपुर का नामान्तरकरण संख्या 1591 चौथी बेवा महादेव कौम भोपा द्वारा क्रेती रजनी खण्डेलवाल पत्नी अशोक खण्डेलवाल को पंजीकृत विक्रय पत्र से ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 224/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में हिस्सा 1/5 के किये गये बेचान के आधार पर भारा गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत माचवा द्वारा निर्णय दिनांक 08.12.2006 को स्वीकृत कर निर्णित किया गया, अनुसूचित जाति की महिला चौथी देवी का एक कूटरचित विक्रय विलेख फर्जी तरीके से तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में पंजीकृत करवा लिया गया तथा फर्जी विक्रय पत्र के आधार बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का हनन करते हुये नामान्तरकरण संख्या 1591 ग्राम माचवा तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 1591 का बिना अवलोकन किये ही, निर्णय पारित कर दिया जबकि नामान्तरकरण संख्या 1591 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जाति की जॉच की जावें तथा धारा 42 का उल्लंघन तो नही है तथा उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है, के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया तथा जो मार्गदर्शन व जाति के सम्बन्ध में जो जॉच की जानी थी, के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित ना कर विधि की भारी व तथ्यात्मक भूल की है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में एक रेफरेन्स राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होने पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय अति. जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर ने निर्णय पारित किया है कि ''आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को किस जाति वर्ग का होने से आवंटन किया गया, के सम्बन्ध में आंवटन पत्रावली से जॉच नही की है, चूँकि प्रकरण अनुसूचित जाति के विषय से जुडा है ऐसी स्थिति में हम न्यायोचित पाते है कि इस सम्बन्ध में प्रार्थी के स्तर पर विस्तृत व तथ्यात्मक जॉच की जावें तथा तदनुसार पुनः रेफरेन्स के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावें, अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र वापस लौटाया जाकर प्रार्थी तहसीलदार जयपुर को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त विश्लेषण को मद्देनजर रखते हुये पुनः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें'' परन्तु तहसीलदार जयपुर ने आज दिनांक तक भी उक्त निर्णय की पालना मे किसी प्रकार की कोई जॉच रिर्पोट प्रस्तुत नही की है, के बावजूद भी उक्त अदेश को दरकिनार करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी एक नायक जाति का व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत आती है, के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जॉच पड़ताल किये बिना तथा अपीलार्थी की पूर्वज अनुसूचित जाति की चौथीदेवी को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि एक स्वर्ण जाति की महिला है, ने झांसे में लेते हुये विक्रय पत्र अपने पक्ष में सम्पादित करवा लिया जिसकी पुष्टि अति. जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित निर्णय से होती है, के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा अपने आदेश में निर्णय दिया है कि रेफरेन्स के निर्णय में आवंटी की जाति अनुसूचित जाति की नही मानी गई है जबकि ऐसा कोई निर्णय रेफरेन्स में पारित नही किया गया था के बावजूद में रेफरेन्स के निर्णय का गलत उल्लेख करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र में भोपा/भोपा(नायक) पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात का कोई उल्लेख नही किया है कि उक्त परिपत्र किस दिनांक को जारी किया व किस दिनांक से भोपा/भोपा (नायक) को कब पिछडे वर्ग में शामिल किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सही प्रकार से अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2019 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐं कथन किया है कि ग्राम माचवा तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 224 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की खातेदार चौथीदेवी पत्नी स्व. महादेव जाति भौपा के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.09.2006 को किया गया, उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण संख्या 1591 दिनांक 08.12.2006 को ग्राम पंचायत माचवा द्वारा स्वीकृत किया गया है, उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध विक्रेता चौथी पत्नी स्व. महादेव के तथाकथित वारिसान अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त उनवानी अपील स्वयं की जाति नायक बताते हुऐ पेश की है, तथा जाति भौपा संविधान (अनुसूचित जातिया) आर्डर 1950 में अधिसूचित जातियों में भौपा, जाति सम्मिलित नही है, केवल मात्र अपीलान्ट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मात्र कयास के आधार पर भौपा जाति को नायक जाति में होने का कथन करने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान लागू होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उन्होंने आगे कथन किया है कि विक्रेता या उसके वारिसान पंजीकृत दस्तावेज के अस्तित्व में रहते हुए उक्त पंजीकृत दस्तावेज में वर्णित कथनों से कानूनन विबंधित है तथा कानूनन भी पंजीकृत दस्तोवज के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेफरेन्स संख्या 1/2012 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.03.2013 द्वारा रेफरेन्स तहसीलदार को वापस लौटाये जाने के निर्देश दिये गये जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष एक निगरानी संख्या 1271/2015 पेश की है तथा उक्त निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.03.2016 को खारिज की गई है, तहसीलदार जयपुर द्वारा आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में कोई रेफरेन्स जिला कलक्टर या अति. जिला कलक्टर के समक्ष पेश नही किया गया है जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने बाद जॉच

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ऐसा कोई तथ्य नही पाया है कि प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अन्तर्गत आता हो। उन्होने कथन किया है राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 14.03.2016 में अति. जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के निर्णय को उचित माना है लेकिन तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रकरण में आज दिनांक तक कोई रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अथवा अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष पेश नही किया है और ना ही कोई तहसीलदार जयपुर द्वारा विवादित भूमि बाबत रेफरेन्स विचाराधीन है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार श्रीमती चौथीदेवी द्वारा दिनांक 06.09.2006 को वादग्रस्त आराजी का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती रजनी खण्डेलवाल को किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त विक्रेता चौथीदेवी को अनुसूचित जाति में मानते हुए एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के यहॉ प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.03.2013 द्वारा यह टिप्पणी करते हुए कि ''चूँकि प्रकरण अनुसूचित जाति के विषय से जुडा है, ऐसी स्थिति में हम यह न्यायोचित पाते है कि इस सम्बन्ध में प्रार्थी के स्तर पर विस्तृत एवं तथ्यात्मक जॉच की जावे तथा तद्नुसार पुनः रेफरेन्स के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावें'' रेफरेन्स प्रार्थना पत्र लौटाया गया है किन्तु तहसीलदार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है अथवा नही बाबत उभयपक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण की प्रति परत की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवार हल्का माचवा द्वारा दिनांक 19.09.2006 को नामान्तरकरण संख्या 1591 भरकर पेश किया जिस पर गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 09.10.06 को अंकित किया गया कि जाति भौपा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र लेवे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में तो नही है, एवं दिनांक 12.10.06 को सरपंच द्वारा अंकित किया गया कि गिरदावर यह स्पष्ट करें कि आर.टी.ए. एक्ट की धारा 42 का उल्लंघन तो नही है और तत्पश्चात् दिनांक 18.10.06 को गिरदावर ने पटवारी हल्का को निर्देश दिये कि वादग्रस्त आराजी की विक्रेता की जाति के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर मार्गदर्शन के साथ नामान्तरकरण पेश करें लेकिन उक्त टिप्पणीयों पर बिना कोई मार्गदर्शन प्राप्त किये ही सरपंच द्वारा दिनांक 08.12.2006 नामान्तरकरण संख्या 1591 को स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध प्रतीत होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 पारित किया गया है, जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 1591 वाके ग्राम माचवा तहसील जयपुर पर सरपंच ग्राम पंचायत माचवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2006 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं प्रकरण में विस्तृत जॉच की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।